<u>न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर</u>

<u>पीठासीन अधिकारी :– अनीता मीना, आर.ए.एस.</u>

<u>प्रकरण संख्या 5/2018 (बांसवाड़ा आर्डर)</u>

राजेन्द्र कुमार पिता नाथूलाल जी शाह, जाति नैमा महाजन, निवासी बांसवाड़ा, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

.... अपीलान्ट

<u>बनाम</u>

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार, घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. अधीक्षक, जनजाति बालक छात्रावास, घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 ख रा.भू–राजस्व अ. 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी घाटोल दिनांक 21.12.2010 कमांक/एफ( )राजस्व अभियान/2010/1427–428

–––/–––

<u>उपस्थित (वक्त बहस)</u>: 1– श्री जयेन्द्र पुरोहित अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री ललित पाटीदार अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

–––::–––

<u>निर्णय</u> <u>दिनांक 12–10–2022</u>

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी घाटोल ने अपने आदेश कमांक/एफ( )राजस्व अभियान/2010/1427–428 दिनांक 21–12–2010 ग्राम घाटोल की आराजी नंबर 5824 रकबा 0.14 हैक्टर भूमि जनजाति बालक छात्रावास घाटोल हेतु आवंटित की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट राजेन्द्र कुमार द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 28–09–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर उनकी ओर से अधिवक्ता श्री ललित पाटीदार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 11–08–2018 को मौके पर कुछ व्यक्ति आये एवं प्रार्थी के निर्माण कार्य को रूकवाने लगे तब प्रार्थी/अपीलान्ट को उक्त आवंटन की जानकारी हुई। तत्पश्चात् नकले प्राप्त कर अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी है। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

उक्त बहस का जवाब देते [illegible]/रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि [illegible] से प्रस्तुत की गयी है

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.14 14:59:41 IST
Reason: SelfAttested

एवं इसके लिए कोई पर्याप्त कारण प्रार्थी ने नहीं बताया है। अतः अपील बेरून मयाद होने से इसी आधार पर खारिज की जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलान्ट द्वारा 21–12–2010 की अपील दिनांक 28–09–2018 को प्रस्तुत की है, जबकि अपील 60 दिवस में अर्थात दिनांक 20–02–2011 तक प्रस्तुत कर दी जानी चाहिए थी, लेकिन अपीलान्ट द्वारा यह अपील करीब 7½ वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है एवं इसके लिए जो आधार अपीलान्ट ने अपने धारा 5 के प्रार्थना पत्र में अंकित किये वह न तो उचित प्रतीत होता है, न ही इतनी लम्बी देरी का कोई पर्याप्त कारण है। तद्नुसार अपील बेरून मयाद होने से मयाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने एवं अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार साबित नहीं होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का आवंटन आदेश दिनांक 21–12–2010 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 12–10–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.14 14:59:41 IST
Reason: SelfAttested